



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- १६०१ / FP/UK/ROAD/45296/2020 :देहरादून:दिनांक: 16 मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० एन०एच० 119/534 किमी० 196.00 से 276.00 सतपुली-श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 32.553 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव सं०:-FP/UK/ROAD/45296/2020

संदर्भ :-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-IRO-DDN/FRCM/01/2022/1299 दिनांक 27.12.2022.

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 27.12.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2645/12-1 दिनांक 29.04.2023 (प्रति संलग्न) से प्राप्त आख्या के क्रम में विन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०	भारत सरकार द्वारा चाही सूचना	उत्तरालेख
1	As per DSS analysis of new CA area, 17 ha is found to be VDF and 16 ha is found to be MDF. The DFO is required to submit a site inspection report of the MDF area clearly mentioning if the MDF area is suitable for plantation. The area falling in VDF shall be revised and details be submitted on the online portal.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि (16.00 है० एम०डी०एफ० का अनुपालन) विषयगत प्रकरण के 16.00 हैक्टयर एम०डी०एफ० क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान गवनी III क०सं० 9 में 5.04 है० के सापेक्ष 1.00 है०, गवनी III क०सं० 9 में 5.00 हैक्टयर, दीवा III क०सं० 7 में 3.00 है० तथा ग्वारी क०सं० 9 में 1.00 है० इस प्रकार कुल 10.00 है० क्षेत्र 1100 पौधों के पौधारोपण हेतु उपयुक्त है। 17.00 है० वी०डी०एफ० का अनुपालन। 17.00 है० वी०डी०एफ० क्षेत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पुनः आरक्षित अवनत वन भूमि में क्षेत्र का चयन कर अदवानी क०सं० 7 में 8.00 है० तथा दीवा III क०सं० 7 में 15.00 है० इस प्रकार कुल 23.00 है० क्षेत्र क्षतिपूरक हेतु उपयुक्त पाया गया। उपयुक्त पाये गये 23.00 है० क्षेत्र के जियोरिफरेन्स मैप एवं डिजिटल मैप संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक--01)
2	Details of the 56.819 ha of non-forest land are uploaded in the field additional document in part-I. Same shall be filled in para B of part-I by the User Agency.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक पर आ रही तकनीकी कठिनाई के निराकरण हेतु NIC भारत सरकार, नई दिल्ली को लिखा गया है।

3	Details of 76 saplings are required to be uploaded at para 4 in part II by the Forest Department.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि 76 Sapling की सूचना पार्ट-II के बिन्दु 4 के (II) में तथा Additional information details में भी अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-02)
4	The DFO along with the User Ageency shall visit the proposed muck dumping sites and shall review and minimize the area proposed for muck dumping. It shall be ensured the revenue lands/ degraded forests with gentle slope are selected.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग तथा वन क्षेत्राधिकारी, पौड़ी रेंज, नागदेव के साथ दिनांक 07.01.2023 को प्रस्तावित मक डम्पिंग क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। पूर्व में प्रस्तावित मक डम्पिंग क्षेत्र को 7.92 है० को न्यून करते हुये 7.329 है० कर दिया गया है, जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट-I के पैरा B-2.4 में ऑनलाईन संशोधित कर दिया गया है। (संलग्नक-03)
5	DFO shall submit the reclamation plan for the muck disposal area.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं०-05 के अनुपालन में Reclamation Plan संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-04)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 2601 / FP/UK/ROAD/45296/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2645/12-1 दिनांक 29.04.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।